न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म०प्र०)

आपराधिक प्रकरण कमांक 96 / 2012 संस्थन दिनांक 14.03.2012

/ / निर्णय / /

(आज दिनांक 26.03.2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 47/2012 अंतर्गत 4—क जुआ अधिनियम में दिनांक 14.03.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 27.02.2012 को समय 1:30 बजे, स्थान उसकी किराना दुकान, बस स्टेण्ड, अंजड़ पर रूपयों—पैसों की हार जीत कर दावं लगांकर लोगों से पैसा लेकर, जो कि भाग्य पर आधारित है, अवैध रूप से सट्टा अंक लिखने के संबंध में धारा 4—क जुआ अधिनियम के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
- 3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 27.02.2012 को प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह द्वारा गश्त के दौरान अंजड़ के बस स्टेण्ड पर मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बसंल किराना दुकान पर सट्टा अंक लिखकर पैसे से हार जीत कर रहे है। सूचना पर विश्वास कर हमराह फोर्स एवं राहगीर पंचान सुभाष व कालु को तलब कर सूचना से अवगत कराया एवं हमराह लेकर मुखबिर से बताये पते पर पहुँचे जहाँ देखा कि एक व्यक्ति सट्टा डायरी पर अंक लिखकर पैसों से लोगों के साथ हारजीत कर रहा था, जिसे फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़ा तथा उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पुष्पेन्द्र पिता रमेशचन्द्र बंसल निवासी अंजड़ होना बताया जिसके कब्जें से सट्टा डायरी, लीड पेन एवं नगदी 2120/— रूपये जप्त कर प्रदर्शपी

1 का जप्ती पंचनामा बनाया, पुलिस ने अभियुक्त पुष्पेन्द्र को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 2 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त पुष्पेन्द्र को थाने लाकर पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/2012 अंतर्गत धारा 4-क जुआ अधिनियम में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 4 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने कालु, विनोद एवं सुभाष के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

- 4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मिजस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरूद्व धारा 4—क जुआ अधिनियम के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।
- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 27.02.2012 को समय 1:30 बजे, स्थान उसकी किराना दुकान, बस स्टेण्ड, अंजड़ पर रूपयों—पैसों की हार जीत कर दावं लगाकर लोगों से पैसा लेकर, जो कि भाग्य पर आधारित है, अवैध रूप से सट्टा अंक लिख रहे थे ?

यदि हाँ. तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी सुभाष (अ.सा.1), सहायक उपनिरीक्षक निर्भयिसंह मुजाल्दे (अ.सा.2), प्रधान आरक्षक विनोद सोलंकी (अ.सा.3) एवं नगर सैनिक कालुदास (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में सहायक उपनिरीक्षक निर्भयसिंह अ.सा.2 का कथन है कि दिनोंक 27.02.2012 को थाना अंजड़ में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ होने तथा कस्बा भ्रमण के दौरान वह तथा आरक्षक विनोद बस स्टेण्ड अंजड़ पहुँचे, वहाँ उसे मुखबिर से सूचना मिली कि बंसल किराना दुकान पर एक व्यक्ति सट्टा—पाना लिखकर रूययों की हारजीत कर रहा हैं तो

उसने राहगीर पंचान सुभाष एवं कालु को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था तथा उन्हें लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर गया था और देखा कि एक व्यक्ति सटटा-पाना लिखकर लोगों से पैसों की हारजीत कर रहा है, तो उसने आरक्षक विनोद की मदद से उस व्यक्ति को पकडा और उससे उसका नाम-पता पूछने उसने अपना नाम पूष्पेन्द्र बंसल निवासी अंजड़ होना बताया और उसके आधिपत्य से एक सट्टा डायरी जिसके 20 पेज थे और 5 पैजों पर सट्टा अंक लिखे थे, कार्बन, लीड, पेन, नगद राशि 2120 / — उससे प्राप्त हुए थे, जो धारा 4 (क) जुआ अधिनियम का अपराध होने से साक्षियों के समक्ष विधिवत जप्त किये थे जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा अभियुक्त से जप्त सट्टा डायरी, आर्टिकल 1, कार्बन आर्टिकल 2, लिड-पेन आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 1 की सट्टा डायरी के ए से ए, बी से बी एवं सी से सी भाग पर सट्टा अंक लिखे हुए है तथा अंक के नीचे दाव पर लगाये गये रूपये लिखे हुए है। उसने अभियुक्त को घटनास्थल से ही गिरफ्तार किया था तथा साक्षी विनोद, कालु एवं सुभाष के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। वह थाना अंजड़ पर अभियुक्त एवं जप्त सामान को लेकर आया था तथा अपराध क्रमांक 47 / 12 अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज किया था जो प्रदर्शपी 4 है जिसके ए से ए और बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे नहीं पता है कि सट्टा कहा से खुलता है या बंद होता है। सट्टा कई प्रकार के होते है लेकिन आर्टिक्ल 1 के अंक किस प्रकार के सट्टे के है उसे नहीं मालूम। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त के कब्जे से रूपये 2120/-जप्त किये थे जो अभियुक्त के पास आर्टिकल 1 लिखते समय पर्ची के साथ जप्त किय थे और उक्त रूपये अभियुक्त की जेब से जप्त नहीं किये थे। अभियुक्त सड़क के किनारे जमीन पर बैठकर सट्टा अंक लिख रहा था। अभियुक्त किन व्यक्तियों के सट्टा लिख रहा था वह नहीं बता सकता है, क्योंकि सट्टा अंक लिखा रहे व्यक्ति पुलिस को देख कर भाग गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि दुकान के आसपास अन्य दुकान है लेकिन उसने दुकान के आसपास के अन्य व्यक्तियों के कथन नहीं लिये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि भ्रमण के दौरान जाते समय रोजनामचें में रवानगी एवं वापसी का इंद्राज किया था लेकिन उसकी कोई प्रति प्रकरण में पेश नहीं की है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्त से कोई सट्टा नहीं पकड़ा था अथवा उसने अभियुक्त के विरूद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

8. आरक्षक विनोद सोलंकी अ.सा.3 ने भी अभियुक्त को पहचानने एवं दिनांक 27.02.12 को प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह के साथ बस स्टेण्ड पर अभियुक्त द्वारा सटटा लागने की सूचना मुखबिर से प्राप्त होने पर अभियुक्त को सट्टा लिखते हुए पकड़ने के संबंध में कथन किये है। साक्षी का यह भी कथन है कि अभियुक्त पैसे लेकर पर्चियों में सट्टा अंक लिख रहा था। अभियक्त के कब्जे से सट्टा डायरी, लिड—पेन एवं नगदी रूपये जप्त किये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मुखबिर की

सूचना प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह को प्राप्त हुई थी लेकिन उक्त सूचना कहा मिली थी, इसकी जानकारी नहीं है। उसे प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह ने थाने पर बताया था। थाने से वे लगभग 1 बजे रवाना हुए थे और इसका इंद्राज रोजनाचमें में किया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त की किराना दुकान है और वे किराना दुकान पर गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि उन्होंने सट्टा लिखाने वाले व्यक्तियों को नहीं पकड़ा था क्योंकि वे लोग भाग गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि सट्टा कहा से खुलता है कौन खोलता है उसे नहीं पता है और जो पर्ची जप्त की थी उसमें कौन सा सट्टा लिखा है उसे नहीं मालूम। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि संबंधित पर्चियाँ सट्टे की नहीं है अथवा उन्होंने अभियुक्त के विरूद्ध मिथ्या प्रकरण बनाया है और अभियुक्त से कोई सट्टा पर्ची एवं नगद रूपये जप्त नहीं किये थे।

- नगर सैनिक काल्दास अ.सा.४ ने भी फरवरी, 2012 में प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह एवं आरक्षक विनोद के साथ बस स्टेण्ड अंजड़ में अभियुक्त को सट्टा पर्ची लिखते हुए पकड़ने और उससे सट्टे की डायरी, लीड-पेन एवं नगद रूपये 2120 / – रूपये जप्त करने के संबंध में कथन किय है। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह ने उसे एवं सुभाष को बुलाया था और मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था। जब वे अभियुक्त के यहाँ पर तब अभियुक्त डायरी में हारजीत का सट्टा अक लिख रहा था और अभियुक्त के पास से नगद राशि 2120 / – रूये जप्त हुए थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त की किनारा दुकान है, लेकिन अभियुक्त किराना दुकान पर नहीं था बाहर ओटले पर था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आमने–सामने भी दुकान है लेकिन उन्होंने दुकान से किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया था, उन्होने किराना दुकान पर पहुँचकर सुभाष को बुलाया था। घटनास्थल पर जप्ती पंचनामा बनाया था तथा शेष कार्यवाही थाने पर ही की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह नहीं बता सकता है कि जप्त डायरी में सट्टे के अंक लिखे हुए थे और सट्टे की डायरी में कौन से प्रकार का सट्टा संचालित किया जा रहा था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह नगर सैनिक होने से असत्य कथन कर रहा है।
- 10. सुभाष अ.सा. 1 का कथन है कि बस स्टेण्ड के पास अभियुक्त की दुकान से सट्टे की पर्चियाँ प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह ने पकड़ी थी और उस समय वह बस स्टेण्ड पर खड़ा था तब पुलिस ने पर्चियों को जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि प्रधान आरक्षक निर्भयसिंह ने उसे और कालु को बसंल किराना दुकान पर सट्टा अंक लिखकर पैसों से हारतीत करने की सूचना से अवगत कराया था लेकिन साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने एक सट्टे की डायरी एवं नगद रूपये 2120 /— जप्त किये थे। उस समय साथ में आरक्षक विनोद एवं साक्षी कालु भी

था, लेकिन साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 के कथन में ए से ए, बी से बी एवं सी से सी भाग वाली बात बताने से इंकार किया है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त के पास से कितने रूपये जप्त किये थे इसकी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके अभियुक्त से अच्छे संबंध है लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि अच्छे संबंध होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने हस्ताक्षर घर पर किये थे और हस्ताक्षर करते समय उक्त कागज कोरे थे और कालु के हस्ताक्षर करते समय उक्त पंचनामें कोरे थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त की किराना दुकान है और उसमें 10 से 15 हजार रूपये की रोजना बिक्री होती है। साक्षी ने स्वीकार किया कि किराना दुकान में लीड— पेन एवं हाजिरी लिखने की डायरी भी मिलती है।

- सहायक उपनिरीक्षक निर्भयसिंह अ.सा.२ ने स्वयं को घटना दिनांक को कस्बा भमण पर आरक्षक विनोद के साथ जाना बताया है तथा स्वीकार किया है कि थाने पर जाने के पूर्व रवानगी एवं वापसी रोजनाचमे पर दर्ज की थी लेकिन उक्त रवानगी एवं जप्त आर्टिकल के साथ वापसी की कार्बन प्रतिलिपि पेश या प्रदर्शित नहीं कराई है, ऐसी स्थिति में घटनास्थल पर उक्त साक्षी के जाने और वापस आने के संबंध में अभियोजन का मामला शंकास्पद हो जाता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि है कि घटनास्थल के आसपास दकाने है लेकिन द्कान के आसपास के रहने वाले व्यक्तियों के उसने कोई कथन नहीं लिये हैं यहाँ तक कि साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में आर्टिकल 1 में लिखे हुए अंक का अर्थ भी स्वयं को ज्ञात होने से इंकार किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि है कि उसे सट्टे का प्रकार नहीं मालूम है तथा अभियुक्त किन व्यक्तियों का सट्टा लिख रहा था वह नहीं बता सकता है। अभियुक्त को सट्टा लिखते हुए इस साक्षी ने रोड़ के किनारे जमीन पर बैठना बताया है लेकिन विनोद सोलंकी अ.सा. 3 ने अभियुक्त की दुकान पर निर्भयसिंह अ.सा. 2 द्वारा उक्त कार्यवाही करना बताया है। इसके विपरीत कालुदास अ.सा. 4 ने अभियुक्त को किराना दुकान के बाहर ओटले पर होना बताया है। उक्त तीनों ही साक्षी पुलिस विभाग में पदस्थ होकर अभियोजन में हितबद्ध है तथा अभियुक्त किस स्थान पर सट्टा लिख रहा था, इस संबंध में उनके कथनों में तात्विक विरोधाभास है।
- 12. प्रकरण के एक मात्र स्वतंत्र साक्षी सुभाष ने केवल अभियुक्त की दुकान से सट्टे की पर्चियाँ निर्भयसिह अ.सा. 2 द्वारा जप्त करना बताया है तथा प्रदर्शपी 1 व 2 के पंचनामें पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि पुलिस ने उसके सामने अभियुक्त को सट्टा लिखते हुए गिरफ्तार किया था। यहाँ तक कि साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 3 का कथन भी इस संबंध में देने से इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि है कि उसने जब प्रदर्शपी 1 व 2 पर हस्ताक्षर किये थे तब वे कोरे थे। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण में एकमात्र

स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन में हितबद्ध पुलिस अधिकारियों के कथन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसके विरूद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है। माननीय उच्च न्यायालय ने कन्नू एहमद खान विरूद्ध मृ.प्र. राज्य, 1970, एम. पी. एले. जे. शार्ट नोट 103, में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि सट्टे के संबंध में केवल पुलिस अधिकारी के कथन हो व सट्टे का तरीका बताने में समर्थ ना हो तो दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। न्यायदृष्टांत नूर मोहम्मद विरूद्ध मृ.प्र. राज्य 1984 मृ.प्र. विकली नोट, शार्ट नोट 391 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन को सार्वजनिक घूत अधिनियम की धारा 13 के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वसनीय साक्ष्य से यह प्रमाणित करना चाहिए कि किस प्रकार से सट्टा खेला जा रहा था।

- 13. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं हरा है कि अभियुक्त दिनांक 27.02.12 को दिन में 1 बजे किराना दुकान पर रूपयों—पैसों से हारजीत का दाव लगाकर अवैध रूप से लाभ अर्जित कर रहा था।
- 14. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त पूष्पेन्द्र के विरूद्व निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त पूष्पेन्द्र को संदेह का लाभ देते हुए धारा 4—क जुआ अधिनियम के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 15. प्रकरण में जप्तशुदा डायरी, कार्बन और लीड—पेन मूल्यहीन होने से नष्ट किये जाये तथा नगद रूपये 2120/— अभियुक्त ने स्वयं के आधिपत्य से जप्त होना या स्वयं के होना स्वीकार नहीं किया है। उक्त जप्त रूपये अपील अविध पश्चात् अपील न होने की दशा में राजसात किये जाये। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण मान्नीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड. जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी